बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

हमारा बिहार

बिहार सरकार

पत्रांक– 7 स्था0 (7) विविध–21/2019 .... दिनांक– ..../2025

प्रेषक,

डॉ0 अरविन्द कुमार,
संयुक्त निदेशक (मु0)।

सेवा में,

निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना।
सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार।
परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना।
चारा विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना।
सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।
सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, पटना।
गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना।
परियोजना पदाधिकारी, फ्रोजेन सीमेन बैंक, मुजफ्फरपुर/बांका/पूर्णियाँ।
सहायक निदेशक (कुक्कुट), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, बेला, मुजफ्फरपुर/भागलपुर।
विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह– बुल स्टेशन, पटना।
सभी विशेष उप निदेशक (पशु विकास), वृहत पशु विकास परियोजना, बिहार।
सभी उप निदेशक (पशु विकास), मध्यम पशु विकास परियोजना, बिहार।
सभी सहायक निदेशक (पशु विकास), लघु पशु विकास परियोजना, बिहार।
मुख्य अनुदेशक, पशुपालन विद्यालय, डुमराँव, बक्सर।
प्रबंधक, हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमराँव, बक्सर।

विषय :– **पशुपालन निदेशालय अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में Biometric Attendance के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्र संख्या– 282 नि0 गो0, दिनांक– 20.06.2025.**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत है बिहार सरकार के विभागों/निदेशालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को 05 दिवसीय/06 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली के तहत निर्धारित समय पर Biometric Attendance के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज किया जाना है।

इस संबंध में सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को कार्यालय में Biometric Attendance की व्यवस्था हेतु राशि भी आवंटित की गयी है। साथ ही Biometric Attendance के माध्यम सभी पदाधिकारी/कर्मी को उपस्थिति दर्ज कराने हेतु बार–बार निदेशित भी किया जाता रहा है, किन्तु प्रायः सूचना प्राप्त हो रही है कि कतिपय क्षेत्रीय कार्यालयों में पदाधिकारी/ कर्मचारी निर्धारित समय के अनुरूप Biometric Attendance के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं।

अतएव प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों में Biometric Attendance संबंध में निम्न बिन्दुओं की सूचना (संलग्न विहित प्रपत्र में) से तीन दिनों के अन्दर पशुपालन निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित किया जायः—

1. आपके जिलान्तर्गत सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के कार्यालयों में Biometric Machine संस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है अथवा नहीं ? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट किया जाये।
2. अधिष्ठापित किये गये सभी Biometric Machine कार्यशील स्थिति में है अथवा नहीं ? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट किया जाये।
3. सभी पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा नियमानुसार Biometric Machine में अपनी उपस्थिति दर्ज की जा रही है अथवा नहीं ? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट किया जाये।
4. उपरोक्त कंडिका—3 की समीक्षा समय—समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा की जा रही है अथवा नहीं ? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट किया जाये।

उक्त संबंध में यह भी निदेशित किया जाता है कि यदि किसी कार्यालय में Biometric Machine का तकनीकी अथवा अन्यान्य कारणों से अब तक अधिष्ठापन नहीं किया जा सका हो तो अविलम्ब अधिष्ठापन कराने के उपरान्त नियमानुसार Biometric Attendance दर्ज करवाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक— 19930, दिनांक— 12.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) में Biometric Attendance संबंधी दिये गये दिशा—निर्देश का अपने एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी को अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय।

विलम्ब अथवा किसी भी प्रतिकूल स्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

अनुलग्नक— यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/—

संयुक्त निदेशक (मु0)।

ज्ञापांक :— 7 स्था0 (7) विविध—21/2019...2453...**, पटना—15, दिनांक** ..09../..7../**2025**

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड/सभी संबंधितों को ई—मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सचिव— सह— निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— संयुक्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

09.7.25

संयुक्त निदेशक (मु0)।

पशुपालन निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों का जिलावार बायोमेट्रिक्स मशीन अधिष्ठापन संबंधित वांछित प्रतिवेदन :–

जिला/क्षेत्र का नाम :–

क्र0 सं0	जिलान्तर्गत/क्षेत्रान्तर्गत पशुपालन निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालय का नाम	Biometric Machine का कार्य पूर्ण कर लिया गया है अथवा नहीं, यदि नहीं तो कारण स्पष्ट किया जाये।	सभी अधिष्ठापित Biometric Machine कार्यशील स्थिति में है अथवा नहीं, यदि नहीं तो कारण स्पष्ट किया जाये।	सभी पदाधिकारियों/ कर्मियों के द्वारा नियमानुसार Biometric Machine में अपनी उपस्थिति दर्ज की जा रही है अथवा नहीं, यदि नहीं तो कारण स्पष्ट किया जाये।	कॉलम–5 की समीक्षा समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा की जा रही है अथवा नहीं ?	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

AKSunny ... (signature)

(343)

अपर सचिव
निदेशालय, पशुपालन/मत्स्य

पत्रांक–3/एम०–60/2022सा०प्र०..19930../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

पत्रांक 5910
12 DEC 2024

अमृत लाल मीणा,
मुख्य सचिव, बिहार

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक

पटना, दिनांक ..12.12.. 2024

विषय— सचिवालय के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मियों द्वारा Biometric Attendance के माध्यम से ससमय उपस्थिति दर्ज करने तथा कार्यालय अवधि में कार्यालय में उपस्थित रहने के संबंध में।

महाशय,

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–3450 दिनांक–02.12.2006 एवं 4754 दिनांक–31.12.2007 द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के लिए 05 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू करते हुए कार्यालय अवधि एवं मध्याह्न भोजन का समय निर्धारित है।

2. गृह विभाग (विशेष शाखा) के परिपत्र संख्या–8926 दिनांक–12.08.2022 द्वारा दिनांक–29.08.2022 से AEBAS (Aadhaar Enabled Biometric Attendance System) माध्यम से शत्–प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करने का राज्य सरकार का निदेश परिचारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–15498 दिनांक–01.09.2022 द्वारा भी बायोमैट्रिक माध्यम से शत्–प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करने का निदेश परिचारित किया गया है।

3. पुनः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–16458 दिनांक–12.09.2022 द्वारा बायोमैट्रिक माध्यम से शत्–प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करने में चूक/कमी की परिस्थिति में संबंधित सरकारी सेवकों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित निदेश परिचारित किया गया है तथा परिपत्र संख्या–1066 दिनांक–16.01.2023 द्वारा पदस्थापन की प्रतिक्षारत सरकारी सेवकों तथा निलंबित सरकारी सेवकों के मामले में पूर्व के प्रावधानों के अनुरूप उपस्थिति पंजी में इनकी उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था को बनाये रखने का निदेश दिया गया है।

4. सचिवालय के विभागों एवं संलग्न कार्यालयों के कर्मियों द्वारा उक्त व्यवस्था के तहत दर्ज की गयी उपस्थिति की समीक्षा में पाया गया कि अभी भी कतिपय विभागों/संलग्न कार्यालयों में उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

4552
16/12/24

(342)

5. अतः सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के कर्मियों द्वारा AEBAS (Aadhaar Enabled Biometric Attendance System) माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने एवं कार्यालय अवधि में कार्यालय में उपस्थित रहने के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं–

(i) उक्त संदर्भ में विहित प्रावधानों के अनुश्रवण हेतु कार्यालय में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति का औचक निरीक्षण किया जाय तथा अनुपालन नहीं करने वाले कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

(ii) उपस्थिति विवरणी के आधार पर विलंब से कार्यालय आने की अवधि हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–16458 दिनांक– 12.09.2022 में विहित प्रावधानों के अनुरूप अनुमान्य अवकाशों का समायोजन स्थापना प्रभारी करेंगे। जिन सरकारी सेवकों के अवकाश खाते में कोई अवकाश शेष न हो, उनके विलंब से कार्यालय आने की स्थिति में, विलंब अवधि के लिए उनके वेतन से नियमानुसार आवश्यक कटौती की जाय। विशेष परिस्थिति में आवश्यक छूट, विभागाध्यक्ष प्रदान कर सकेंगे।

(iii) सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपस्थिति विवरणी से संबंधित स्थापना प्रतिवेदन के आधार पर ही वेतन विपत्र तैयार करेंगे।

6. उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन,

12/12/24

(अमृत लाल मीणा)
मुख्य सचिव,
बिहार

3 I.T.